E. Mail

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न सूची के अनुसार 47 जनपद)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक :: 1695/वि0का0/2011–12 लखनऊ :: दिनांक :: 21 सितम्बर–2011

विषय **वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–13 हेतु हुई बजट व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की मैंचिंग धनराशि को शार्टफाल के रूप में स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0–1174/38–6–2011–58एसजीएसवाई/10टीसी–III, दिनांक 16–09–2011 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–13 सामान्य मद हेतु हुई बजट व्यवस्था से वित्तीय वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 2550.015 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ पचास लाख एक हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि जनपदों को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 2550.015 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ पचास लाख एक हजार पॉच सौ मात्र) विगत वित्तीय वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा। नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महराज नगर को विगत वित्तीय वर्ष में अलग से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी। अतः इस जनपद की धनराशि इसके पैतृक जनपद सुल्तानपुर को आवंटित की जा रही है। अतः सम्बन्धित जनपद अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपद को धनराशि उपलब्ध करायें।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के075/रा025–रा0)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग संलग्न विवरण के कालम–4 में दर्शाया गया है।

8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियॉ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।

9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0 188 पर कर ली गई है।

भवदीय,
21/9/11

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 1695/वि0का0/2011–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
9. राज्य योजना आयोग–1/2 उ0प्र0 शासन।
10. विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0–1174/38–6–2011–58एसजीएसवाई/10टीसी।।।,दिनांक 16–09–2011 के संदर्भ में।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

new Release 2011-12.doc

पत्रांक : 1695/वि0का0/2011–12 दिनांक : 21 सितम्बर, 2011 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–13 सामान्य मद में वर्ष 2010–11 के लिए अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	7.24	13.67
2	GHAZIABAD	3.99	10.89
3	BAGPAT	3.40	7.35
4	RAMPUR	27.09	54.85
5	J B F NAGAR	21.74	40.52
6	BADAUN	89.23	143.14
7	SHAHJAHANPUR	123.50	183.16
8	PILIBHIT	69.75	106.87
9	MAINPURI	43.77	82.64
10	MATHURA	28.79	42.70
11	ALIGARH	18.64	37.74
12	ETAH	16.46	33.33
13	K.RAM NAGAR	16.00	28.20
14	HATHRAS	11.90	25.30
15	JALAUN	33.04	66.90
16	LALITPUR	37.59	55.75
17	BANDA	33.90	68.65
18	MAHOBA	0.86	13.06
19	CHITRAKOOT	53.13	78.80
20	ALLAHABAD	89.70	181.63
21	FATEHPUR	71.14	116.62
22	PRATAPGARH	44.82	93.48
23	KANPUR NAGAR	42.75	86.56
24	KANNAUJ	24.13	48.87
25	VARANSI	61.98	91.92
26	GHAZIPUR	104.78	175.53
27	JAUNPUR	151.64	224.88
28	CHANDAULI	43.60	88.29
29	MIRZAPUR	130.08	200.34
30	SONBHADRA	102.62	152.18
31	SANT R. NAGAR	23.34	40.23
32	LUCKNOW	62.94	107.27
33	GORAKHPUR	57.40	125.22
34	DEORIA	89.26	132.37
35	KUSHINAGAR	120.06	212.97
36	BASTI	26.31	81.08

share 2011-12.xls

पत्रांक :1695/वि0का0/2011–12 दिनांक : 21 सितम्बर, 2011 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–13 सामान्य मद में वर्ष 2010–11 के लिए अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
37	SANT K NAGAR	44.60	90.31
38	AZAMGARH	69.54	140.81
39	MAU	37.35	75.63
40	BALLIA	20.65	80.42
41	BARABANKI	68.13	171.51
42	SULTANPUR	107.88	206.44
43	AMBEDKAR NGR	117.96	182.39
44	GONDA	67.78	152.04
45	BAHRAICH	70.77	161.82
46	BALRAMPUR	26.16	57.79
47	SHRAVASTI	32.625	62.945
State Total ::		2550.015	

(रू0 पच्चीस करोड़ पचास लाख एक हजार पाँच सौ मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

share 2011-12.xls

नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि रू0–2550.015 लाख/–(रूपये पच्चीस करोड़ पचास लाख एक हजार पॉच सौ मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(3) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2012 को समर्पित कर दी जायगी।

(4) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(5) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011 दिनांक 21 मार्च, 2011 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक अनुदान संख्या–13 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा. 25–रा.)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–2–609/ दस–2011,दिनॉक 30 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमत से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि प्रकाश अरोड़ा)
विशेष सचिव।

संख्या–1174(1)/38–6.–2011–तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
4. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2

6. ग्राम्य विकास अनुभाग–3 / ग्राम्य विकास अनुभाग–6 / नियोजन अनुभाग–3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश अरोड़ा)
विशेष सचिव।